UPRVUNL	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 1423 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2011–04–मा0सं0(04) / 2011 दिनॉक 9 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

बाहय रोगी उपचार हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाले रोगों / बीमारियों के सम्बन्ध में राज्य चिकित्सा परिषद की अनुशंसा की बाध्यता समाप्त कर दिये जाने विषयक, सचिव, राज्य चिकित्सा परिषद एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्याः ई–7 / 2011 / 15243–3, दिनांक 5 नवम्बर, 2011 द्वारा सूचित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन नि0लि0 के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को बाहय रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाले रोगों / बीमारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए एतद्द्वारा निम्न आदेश किये जाते हैः–

1. लम्बी अवधि तक चलने वाले रोगों / बीमारियों की चिकित्सा पर संस्तुति देने हेतु निम्नवत निगमीय चिकित्सा परिषद का गठन किया जाता हैः–

1.	निदेशक (वित्त) (अथवा उनके द्वारा नामित महाप्रबन्धक अथवा उनसे उच्च स्तर का प्रतिनिधि)	अध्यक्ष
2.	महाप्रबन्धक (चिकित्सा)	सचिव
3.	वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी (परियोजना में)	सदस्य
4.	नेत्र रोग विशेषज्ञ	सदस्य
5.	उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता(04)	संयोजक

2. चिकित्सा परिषद की बैठक माह जनवरी, 2012 से प्रत्येक माह के तृतीय गुरूवार को शक्ति भवन विस्तार, आठवॉ तल स्थित उत्पादन निगम लि0 बैठक कक्ष में होगी। यदि इस दिन अवकाश होगा तो अगले कार्य दिवस पर बैठक होगी।

3. चिकित्सा परिषद के समक्ष हर रोगी को संगत अभिलेखों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है किन्तु निम्न श्रेणी के रोगियों को स्वयं की उपस्थिति से छूट होगीः–

क– विक्षिप्त एवं विकलांग रोगी।
ख– 75 वर्ष की आयु से अधिक के रोगी।
ग– लकवा से ग्रस्त होने के कारण आने में असमर्थ रोगी।
घ– गम्भीर कैंसर से ग्रस्त रोगी।

कृ0प0उ0

उक्त (क) से (घ) श्रेणी के प्रकरणों में रोगी के परिचर (अटेन्डेन्ट) द्वारा उपचार/चिकित्सा के समस्त संगत अभिलेख तथा निगम के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अन्तर्गत अधिकृत चिकित्सक का उक्त (क) से (घ) से सम्बन्धित श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र तथा रोगी का प्रमाणित फोटो चिकित्सा परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही उक्त श्रेणी के रोगियों को स्वयं की उपस्थिति से छूट अनुमन्य हो सकेगी।

4. लम्बी अवधि के उपचार में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अन्य दशाएं एवं शर्ते आदेश संख्याः 641/मा0सं0(04)/उ0नि0 लि0/2009–45–मा0सं0(04)/2008 दिनांक 24.04.2009 (9 ल) एवं आदेश संख्याः 668/मा0सं0(04)/उ0 नि0लि0/2010–33–मा0सं0(04)/2007 दिनांक 25.05.2010 (बिन्दु–01) के अनुसार प्रभावी रहेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 1423 (1)/मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2011 तद्दिनांक 09.12.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/मा0सं0/वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक(चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं0 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
9. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट छितवापुर भुइयन, 12 आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी, तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
11. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0 (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/(औ0सं0/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उप सचिव/अनुसचिव/वरिष्ठ लेखा अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. कार्मिक अधिकारी।

आज्ञा से,

(राजीव गोयल)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)